झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

::अधिसूचना::

दिनांक– **10.08.2011**

संख्याः–6 / क0च0आ0–02 / 2010 का0–4677 /झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम–16, 2008) एवं कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 (झारखण्ड अधिनियम सं0 3, 2011) तथा कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2011 की धारा 12(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के लिये निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**–(1) यह नियमावली झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2011 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रभावी होगा ।

2. **परिभाषाएँ** – इस नियमावली में, जबतक काई बात विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हो –

(क) '' राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है झारखण्ड की राज्य सरकार ;

(ख) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 (झारखण्ड अधिनियम सं0 3, 2011) एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2011;

(ग) ''आयोग'' से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम–16, 2008) एवं कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 (झारखण्ड अधिनियम सं0 3, 2011) तथा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2011 के द्वारा गठित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग और आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों से गठित होगी;

परन्तु किसी सदस्य की छुट्टी या अन्यथा अनुपस्थिति की अवस्था में, अध्यक्ष एवं एक सदस्य को मिलाकर आयोग गठित समझा जायेगा;

(घ) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष;

(ङ॰) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य;

(च) ''सेवा एवं संवर्ग'' से अभिप्रेत है कोई सेवा या कोई संवर्ग जिसमें नियुक्ति हेतु अधिनियम की धारा 5 के अधीन आयोग की अनुशंसा अपेक्षित हो ;

(छ) ''पद'' से अभिप्रेत है कोई पद जिस पर नियुक्ति हेतु अधिनियम की धारा–5 के अधीन आयोग की अनुशंसा अपेक्षित हो ;

(ज) ''सचिव'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का सचिव और इसमें वह पदाधिकरी भी शामिल है जो सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्यो का निष्पादन करने हेतु अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाय ।

3. **<u>आयोग के कार्य एवं अधिकार</u>**

(i) आयोग राज्य सरकार के अधीन वर्ग 'ग' के सभी पदों एवं वर्ग 'ख' के अराजपत्रित सभी सामान्य / प्रावैधिक / अप्रावैधिक सेवाओं / संवर्गों के पदों, क्षेत्रीय एवं जिला स्तर पर भरे जाने वाले पदों तथा वर्दी धारी सेवाओं यथा–पुलिस, अग्निशमन एवं होमगार्ड को छोड़कर, जिनपर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सीधी नियुक्ति का प्रावधान हो, एवं जिनका चयन झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं होता है, पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा।

राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी पद, जिन पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने की संवैधानिक बाध्यता नहीं है, उनमें से किसी सेवा की नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा का कार्य आयोग से हटाकर किसी अन्य प्राधिकार को सौंप सकती है अथवा वैसी किसी सेवा की नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा का कार्य आयोग को सौंप सकेगी।

(ii) आयोग की अनुशंसा, अनुशंसा की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगी ;

परन्तु आयोग को अपनी अनुशंसा को अगले एक वर्ष के लिए पुनः विधिमान्य करने की शक्ति होगी ।

(iii) आयोग विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा संचालन करने की पूरी प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगी तथा आयोग परीक्षाओं का संचालन स्वयं अथवा वाह्यस्त्रोत के माध्यम से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से करा सकेगा।

4. **आयोग के कार्यों का संव्यवहार** – इस नियमावली की अनुसूची 2 एवं अनुसूची 3 में यथानिर्दिष्ट कार्यों का संव्यवहार क्रमशः आयोग एवं आयोग के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

5. **आयोग का गठन**

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग का गठन निम्नलिखित रूप में किया जायेगा :–

(क) अध्यक्ष – राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय सेवा/सेना के सुपर टाईम स्केल से अन्यून पंक्ति के कार्यरत् अथवा सेवानिवृत्त एक पदाधिकारी।

(ख) सदस्य – राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रूपये 37400–67000/– ग्रेड पे–8700 (अथवा समय–समय पर यथा पुनरीक्षित समरूप वेतनमान्) से अन्यून वेतनमान् के कार्यरत् अथवा सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा/सेना/ झारखण्ड प्रशासनिक सेवा/सभी समकक्ष सरकारी सेवा/शैक्षणिक क्षेत्र के दो पदाधिकारी।

6. **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को भुगतेय वेतन भत्ते एवं देय सुविधाएँ** – अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर सेवारत पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में वे कालमान वेतन, अनुमान्य भत्ते एवं अन्य अनुमान्य सुविधाएँ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

उपर्युक्त पदों पर सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में उनकी पेंशन की राशि घटाकर उन्हें प्राप्त अन्तिम वेतन के बराबर वेतन भुगतेय होंगे।

अध्यक्ष एवं सदस्य के पदों पर सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति की तिथि को उन्हें अनुमान्य आवासन, चिकित्सीय तथा यात्रा सम्बन्धी अन्य सुविधाएँ आदि उन्हें नियुक्ति के पश्चात् पूर्ववत प्राप्त होगी।

7. **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल**– आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पदग्रहण की तिथि से सामान्यतः पाँच वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र, जो पहले हो, तक कार्यरत रह सकेंगे।

किन्तु यदि सेवारत पदाधिकारी को नियुक्त किया जाता है, तो उनका कार्यकाल अगले आदेश तक होगा। यदि इसी बीच सेवानिवृत्ति की तिथि आती है तो उनका कार्यकाल सेवानिवृत्ति के साथ स्वतः समाप्त हो जायेगा। तथापि राज्य सरकार द्वारा उन्हें पुनः इन पदों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

8. **आयोग के सदस्यों के कार्य एवं जिम्मेवारी** – आयोग के सदस्य अध्यक्ष द्वारा उन्हें आवंटित कार्यों का संपादन करेंगे।

9. **आयोग की बैठकों की कार्यवाहियां –**

(i) आयोग के सभी निर्णयों का अभिलेखन बैठक में ही सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा किया जायगा । यदि कोई सदस्य किसी निर्णय से भिन्न मत प्रकट करे तो उसे कार्यवाही में अभिलिखित किया जायगा । मतभिन्नता की दशा मे बहुमत द्वारा निर्णय लिया जायगा

(ii) बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि आयोग की अगली बैठक में की जायेगी ।

(iii) आयोग के निर्णयों का संसूचन सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से किया जायेगा ।

(iv) आयोग की कार्यवाहियां गोपनीय होंगी और उन्हें आयोग की अनुमति के बिना संसूचित/प्रकट नहों की जायेगी।

10. **वित्तीय शक्तियां –**

(i) प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के मामले में आयोग के अध्यक्ष राज्य सरकार में विभाग की शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

(ii) प्रश्नपत्रों की छपाई एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर होनेवाले /हुए व्यय के सम्बन्ध में झारखण्ड वित्तीय नियमावली भाग–2 परिशिष्ट 5 की मद संख्या 39 में अधिकथित प्रक्रिया लागू होगी ।

(iii) आयोग राज्य सरकार से प्राप्त राशि, अभ्यर्थियों से प्राप्त शुल्क और विविध रसीदों द्वारा प्राप्त राशि का बैंक में खाता खोलकर रखेगा। अभ्यर्थियों से प्राप्त शुल्क की राशि वाह्य स्रोत से नियक्ति करने वाले एजेन्सी को देय राशि के भुगतान के उपरान्त शेष राशि को तुरंत और किसी भी स्थिति में माह के अन्त तक राजकोष में प्राप्ति शीष ''0051 लोक सेवा आयोग–104–कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा शुल्क'' के अधीन जमा की जायेगी। प्रत्येक वर्ष ऐसे शुल्क के रूप में प्राप्त राजस्व का व्योरा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजा जायेगा।

11. **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की छुट्टी ।**– झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के सदस्यों तथा कार्यरत कर्मियों की छुट्टी विभागाध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की जायेगी । अध्यक्ष की छुट्टी मुख्य सचिव के द्वारा स्वीकृत की जायेगी । यदि अध्यक्ष की छुट्टी या अन्यथा अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के प्रशासनिक कार्यो का प्रभार धारण करेगा ।

12. **आयोग के पदाधिकारी/कर्मचारी –**

(i) आयोग के कार्य संचालन हेतु अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किया जाय । स्वीकृत पद बल के विरूद्ध अथवा आवश्यकतानुसार अनुसचिवीय पदाधिकारी और निचले सेवक, अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, सचिव द्वारा नियुक्त किए जायेगे।

(ii) आयोग के अनुसचिवीय पदाधिकारी और निचले कर्मचारीवृन्द के वेतनमान, भरती और प्रोन्नति के नियम तथा सेवा की अन्य शर्त्तें वही होंगी, जो झारखण्ड सचिवालय में अनुसारी पदों के लिये विहित है।

(iii) झारखण्ड अवर–सेवा (अनुशासन और अपील) नियमावली (झारखण्ड सबार्डिनेट सविसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स) के नियम–2 में विहित दंड देने वाला प्राधिकारी सचिव होगा और अपीलीय प्राधिकारी अध्यक्ष होगा।

(iv) सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत पद बल के अतिरिक्त विशेष परिस्थति में आवश्यकतानुसार परीक्षा प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन के लिये आयाग विज्ञापन के आधार पर बाह्य व्यक्तियों की सेवा विनिर्दिष्ट अवधि के लिये कन्ट्रैक्ट पर ले सकेगा और परीक्षा प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद उनकी सेवा आयोग तुरंत समाप्त कर देगा । ऐसे रखे गये व्यक्तियों की संख्या एवं उन्हें भुगतेय राशि की दर पर आयोग राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेगा ।

13. (i) आयोग की स्थापना पर होनेवाले वार्षिक व्यय का वहन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अपने बजट शीर्ष के अधीन अपेक्षित निधि का उपबंध कर किया जायगा ।

(ii) आयोग प्रत्येक वर्ष का बजट प्राक्कलन तैयार करेगा और कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजेगा ताकि विभाग के बजट के अधीन उसको सम्मिलित किया जा सके ।

14. आयोग के नियंत्री पदाधिकारी व्यय पर नियंत्रण करेंगे तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 471 से 483 के अधीन प्रदत्त उत्तरदायित्वो का निष्पादन करेंगे । लेखा का संधारण एवं उनका अंकेक्षण राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जायेगा । इससे संबद्ध सुसंगत जानकारी तथा प्रतिवेदन आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को समय–समय पर उपलब्ध कराया जायगा ।

अनुसूची–1
सेवा/संवर्ग/पद का ब्योरा
(नियम–3 देखें)

आयोग राज्य सरकार के अधीन वर्ग 'ग' के सभी पदों एवं वर्ग 'ख' के अराजपत्रित सभी सामान्य/ प्रावैधिक/ अप्रावैधिक सेवाओं/ संवर्गों के पदों, क्षेत्रीय एवं जिला स्तर पर भरे जाने वाले पदों तथा वर्दी धारी सेवाओं यथा–पुलिस, अग्निशमन एवं होमगार्ड को छोड़कर, जिनपर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सीधी नियुक्ति का प्रावधान हो, एवं जिनका चयन झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं होता है, पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा।

राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी पद, जिन पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने की संवैधानिक बाध्यता नहीं है, उनमें से किसी सेवा की नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा का कार्य आयोग से हटाकर किसी अन्य प्राधिकार को सौंप सकती है अथवा वैसी किसी सेवा की नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा का कार्य आयोग को सौंप सकेगी।

अनुसूची–2

आयोग द्वारा संव्यवहार किये जाने वाले कार्य :–

(1) आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन ।
(2) अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन निर्मित नियमावली के अधीन परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम ।
(3) कोई मामला जिसमें नयी नीति के हेतु प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजना हो ।
(4) कोई मामला जिसमें वर्त्तमान नीति को संशोधित/पुनरीक्षित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजना हो ।
(5) कोई मामला जिसमें पद एवं सेवाओं में भर्त्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा संचालित करने हेतु विनियमावली बनाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की आवश्यकता हो ।
(6) आयोग के कार्यो के निष्पादन हेतु कार्य संचालन विनियमावली का प्रारूप सरकार के अनुमोदन हेतु भेजना ।
(7) आयोग के दायरे से हटाने एवं आयोग के कार्यो के विस्तार का प्रस्ताव तैयार कर सरकार क अनुमोदन हेतु भेजना ।
(8) परीक्षा पद्धति के अनुसंधान से संबंधित विषय ।
(9) साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा पर्षद् के गठन हेतु पैनल का निर्माण ।
(10) परामर्शियों/विशेषज्ञों के चयन हेतु पैनल का गठन एवं बोर्ड की संरचना ।
(11) परीक्षा संचालन हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं एवं संस्थाओं का निर्धारण ।

(12) अन्तर्वीक्षा की तिथियों का निर्धारण ।
(13) परीक्षा की तिथियों/परीक्षाओं एवं मूल्यांकन स्थानों का निर्धारण ।
(14) अधिवक्ताओं के पैनल का गठन ।
(15) भर्ती के लिये अधिसूचना और विज्ञापन और समाचार–पत्रों का चयन करना जिनमें विज्ञापन प्रकाशित किये जाने वाले हों ।
(16) परीक्षा तथा अन्तर्वीक्षा के परिणामों (परीक्षाफल) का अनुमोदन ।
(17) पद्धति विकास और डाटा प्रोसेसिंग एवं इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग शाखा सम्बन्धी तकनीकी पहलू वाले अन्य कार्य ।
(18) उम्मीदवारों के आवेदन पर उत्तर पुस्तिका के पुनर्समीक्षा का निर्णय ।
(19) कोई अन्य मामला जिसे विचार एवं निर्णय के लिये अध्यक्ष आयोग के समक्ष रखना चाहे ।
(20) कोई अन्य मामला जो इन नियमावली से आच्छादित न हो, उस पर प्रस्ताव तैयार कर सरकार के अनुमोदन हेतु भेजना हो ।

अनुसूची–3

अध्यक्ष द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य :–

(1) आयोग का सामान्य प्रशासन ।
(2) आयोग की बैठक आहूत करने सहित आयोग के कार्य का समन्वय।
(3) आयोग के सदस्यों को आयोग के कार्यो के आवंटन ।
(4) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किसी सदस्य को कोई संचिका परीक्षण के लिये पृष्ठांकित करना ।
(5) आवश्यकतानुसार या जनहित में यदि अध्यक्ष उचित समझे तो किसी विशेष मामले या कार्य को निष्पादनार्थ आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा ।
(6) आयोग द्वारा तैयार पैनल से बोर्ड का गठन एवं साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा तिथियों का निर्धारण ।
(7) आयोग द्वारा स्वीकृत पैनल से वकीलों को कार्य पर रखने की शक्ति ।
(8) आयोग द्वारा समय–समय पर कार्यहित में सौपें गए कार्य ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुमन कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–6/स्था0क0च0आ0–02/2010 का0–**4677** /रांची, दिनांक **10.08.2011**

अधिसूचना संख्या–**4677,** दिनांक–**10.08.2011** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड–राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंगजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुमन कुमार)
सरकार के उप सचिव।